फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारूराम वगैरा बनाम रिड़मल वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 158/20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.07.2020	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री महावीर द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा हेराजोणियों की ढाणी पटवार मण्डल रतेउ तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थीगण वकील के कथनानुसार प्रार्थी के कब्जे काश्त में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 दखलअन्दाजी करने, प्रार्थीगण को बेदख़ल करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 11.8.2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा हेराजोणियों की ढाणी पटवार मण्डल रतेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 459, 503 रकबा क्रमशः 269.00, 65.18 बीघा की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे व काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास करें। वर्तमान मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण संख्या 01 से 11 पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 11/8/2020 को पेश हों। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
11/08/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 से 7 की ओर से मूल पाए के वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त। पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अतः मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 16/09/2020 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।	

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:40:49 IST
Reason: SelfAttested

26/08/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का इस वाद आज पेशी तारीख पर तलब की जाकर जरिये Not press खारीज किया जा चुका है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः प्रार्थी का आवेदन इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर ले कम हो दाखिल दफ्तर हो।

विनोद व्यास

26.08.2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:40:49 IST
Reason: SelfAttested